सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर
मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्रीमति कुतंल विश्नोई (आर.ए.एस)

वाद संख्या : 117/2013 निर्णय दिनांकः 14/09/17

1. नाथू पुत्र मोती
2. नारायण उर्फ रामनारायण पुत्र मोती
3. प्रभात (मृतक दौराने वाद)

3/1. पप्पी पुत्री प्रभात पत्नी श्री शंकरलाल जाति ब्राहमण
निवासी जयचन्द्रपुरा वाया गठवाडी तह0 जमवारामगढ जिला जयपुर।

3/2. मंगली पुत्री प्रभात पत्नी श्री गोपाल जाति ब्राहमण
निवासी जयचन्द्रपुरा वाया गठवाडी तह0 जमवारामगढ जिला जयपुर।

4. मूलचन्द्र पुत्र घासी (मृतक दौराने वाद)

4/1.सरजू देवी पुत्री मूलचन्द पत्नी सीताराम जाति बागडा ब्राहमण,
निवासी ग्राम जयचन्द्रपुरा गठवाडी तह0 जमवारामगढ जिला जयपुर।

4/2. गुल्ली देवी पुत्री मूलचन्द पत्नी मोतीराम जाति बागडा ब्राहमण,
निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तह0 सागांनेर जिला जयपुर।

4/3. रामा देवी पत्नी श्री मूलचन्द जाति बागडा ब्राहमण,
निवासी अणी तह0 आमेर जिला जयपुर।

5. हरफूल पुत्र घासी (फौत नाम हजफ)
6. किशोर पुत्र घासी
7. रूडाराम पुत्र भूरा

समस्त जाति ब्राहमण निवासी अणी तह0 आमेर जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र छोटया
2. शंकर पुत्र मांगीलाल (मृतक दौराने वाद)

2/1. रामा देवी पत्नी स्व0 श्री शंकर

2/2. पप्पू पुत्र स्व0 श्री शंकर

2/3. मुकेश पुत्र स्व0 श्री शंकर

2/4. कमलेश पुत्र स्व0 श्री शंकर

2/5. सोनी पुत्री स्व0 श्री शंकर

2/6. संती पुत्री स्व0 श्री शंकर

2/7. सुमन पुत्री स्व0 श्री शंकर

समस्त जाति बागडा ब्राहामण, निवासीयान ग्राम अणी तह0 आमेर, जिला जयपुर।

3. मोत्या पुत्र मांग्या
4. बालू पुत्र कुशला

समस्त जाति ब्राहामण निवासी अणी तह0 आमेर जिला जयपुर।

— प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

वाद :– स्थायी निषेधाज्ञा एवं शामलाती चाह के कुए के बाहर की शामलाती भूमि पर किये गये जबरन कब्जे को हटाने बाबत

निर्णय

वादीगण की ओर से हस्तगत वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा एवं शामलाती कुए की भूमि पर किये गये जबरन कब्जे को हटाये जाने बाबत प्रस्तुत कर वर्णित किया है कि ग्राम अणी तह0 आमेर जिला जयपुर स्थित गैर–मुमकिन चाह ख.नं. 218 रकबा 5 बिस्वा में वादीगण का 1/4 हिस्सा बतौर खातेदार रिकार्ड में अंकित है तथा 1/4 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 तथा 1/2 भाग की खातेदारी प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 के नाम दर्ज अंकित है। उक्त चाह खं. नं. 218 का कुल रकबा 5 बिस्वा है। जो कुए के चारो तरफ सुचारू रूप से सिंचाई के उद्धेश्य से खाली रहता आया है और इसी कारण चाह मजकूर के अपने दर्ज हिस्सेनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने खेतों की सिंचाई करते आ रहे है। प्रतिवादीगण ने चाह मजकूर के कुए के बाहर के शामलाती रकबे में वादीगण की अदम मौजूदगी में दिनांक 04.03.1991 को मकानात आदि जबरन तथा तुरत फुरत में बना लिये जिसके कारण वादीगण को अपने खेतों में पानी ले जाने में बाधा खडी हो गई। वादीगण ने प्रतिवादीगण को जबरदस्ती चाह मजकूर की शामलाती भूमि पर मकान व बाडा बनाने व कब्जा करने और वादीगण के पानी ले जाने में रूकावाट डालने से मना किया तो दिनांक 05.03.1991 को झगडा करने पर आमदा हो गये। प्रतिवादीगण को अपने हिस्सानुसार चाह मजकूर से वादीगण को पानी ले जाने से रोकने एवं शामलात चाह की भूमि पर जबरदस्ती मकान आदि बनाने का कोई अधिकार नही है। इसी कारण स्थायी निषेधाज्ञा एवं शामलाती भूमि से कब्जा हटाये जाने हेतु वाद कारण उत्पन्न होकर वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादग्रस्त भूमि आ.खं. नं. 218 रकबा 5 बिस्वा में वादीगण के हिस्से 1/4 के भाग का पानी लेने में अवरोध न डाले तथा कुए के बाहर की चाह मजकूर की भूमि पर कोई निर्माण आदि ना करें तथा भूमि को खाली रखें एवं चाह ख. 218 में बनी कोठी के बाहर की शामलाती भूमि के भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा जो जबरन कब्जा कर मकान व बाडा बनाया है से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर चाह मजकूर की शामलाती भूमि को प्रतिवादीगण से खाली कराई जावें।

वाद वादीगण दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने बाबत नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण ने जवाब वादपत्र प्रस्तुत कर वर्णित किया कि चाह तथा भूमि के अलावा शेष भूमि पर भैरू तथा कजोड के विगत 25 वर्षों से भी अधिक समय से मकानात तथा बाडे बने हुए है तथा उक्त रकबा आबादी का रकबा है तथा उक्त मकानात एवं बाडे के बने होने के बाद भी कुए के पानी यथावत चालू है अतः बाधा डालने का कोई आधार ही नही है। प्रतिवादीगण ने यह भी वर्णित किया है कि दिनांक 04.03.1991 को प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नही किया गया है बल्कि मकानात आदि 25–30 वर्षों से भी अधिक समय से बने हुए है जो कि स्वयं जो कि स्वयं वादीगण की सहमति से बने है जो कि वादीगण की जानकारी में बखूबी है तथा वादीगण चाह से पानी यथावत ले जा रहे है। अतः वादी का कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। वादग्रस्त भूमि पर जो निर्माण है वह भैरू तथा कजोड के है जो कि विगत 25 वर्षों से भी अधिक समय से है। तत समय वादीगण ने कोई आपति नही की। वादीगण ने अनावश्यक ही जवाबदावा प्रस्तुतकर्ता के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया है । अतः वाद वादीगण चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर जे. जयपुर

1. आया प्रतिवादीगण ने चाह मजकूर के बाहर के शामलाती रकबे में वादीगण की अदम मौजूदगी में दिनांक 04.03.1991 को मकानात व बाडे जबरदस्ती तुरत फुरत में बना लिये।

—वादीगण

2. आया वादीगण चाह ख. 218 मजकूर में बनी कोठी (चाह) के बाहर की शामलाती भूमि के भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा जो जबरन कब्जा करके मकान व बाडा बनाया है और अन्य तरह से रूकावट डाली है से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर चाह मजकूर की शामलाती भूमि को प्रतिवादीगण से खाली कराने के अधिकारी हैं।

—वादीगण

3. आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

—वादीगण

4. आया वादी को वाद हेतु उत्पन्न नही होता। दावा भी न्यायालय के श्रवणाधिकार में नही आता। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में सरसरी तौर पर निरस्त किये जाने योग्य है।

—प्रतिवादीगण

5. आया दावा धारा 183 आरटी एक्ट के चलने योग्य नही है।

—प्रतिवादीगण

6. आया वादीगण किस भू–भाग पर कब्जा करना चाहता है स्पष्ट नही है। दावा निरस्तनीय हैं।

—प्रतिवादीगण

7. दादरसी ?

वादीगण अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथपत्र स्वयं वादी सं. 2 रामनारायण तथा स्वतंत्र गवाह सीताराम पुत्र सोहनलाल ब्राहामण एवं फूलचन्द पुत्र ग्यारसीलाल मीणा के पेश किए। अग्रिम कार्यवाही के नियत रहते प्रतिवादीगण के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात अधिवक्ता वादी की बहस अन्तिम सुनी गई।

हमने अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। खसरा नं0 218 की किस्म गैर मुमकिन चाह है जिसमें निर्माण आदि नही किये जा सकते। वाद अधीन भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा व शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का निहित है। यह निर्विवाद तथ्य है। प्रतिवादीगण द्वारा वर्णित किया गया कि वाद अधीन भूमि पर जो निर्माण है वह प्रतिवादीगण के नही होकर दीगर व्यक्तियों के है तथा उक्त तथाकथित निर्माण वाद दायरी से लगभग 25–30 वर्षों से पूर्व के है तथा वादी की पूर्ण जानकारी में रहे है। उक्त तथ्यों का वादीगण द्वारा कोई खण्डन नही किया गया है ना ही खण्डन स्वरूप किसी प्रकार का कोई मान्य साक्ष्य प्रस्तुत नही की है। अतः ऐसी स्थिति में आज उक्त पुख्ता निर्माण को हटाया जाना अपेक्षित नही है। परन्तु चूंकि वादीगण का विवादित भूमि में 1/4 हिस्सा निहित है तथा वादग्रस्त रकबा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ शामलाती रकबा है। जिसपर किसी प्रकार का निर्माण किया जाना वर्जित है अतः प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वाद अधीन भूमि आराजी ख. नं. 218 रकबा 5 बिस्वा में किसी प्रकार का नवीन निर्माण आदि ना करें तथा वादीगण को उनके हिस्से अनुसार पानी लेने में किसी प्रकार अवरोध कारित ना करें।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) आमेर जयपुर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
फास्ट ट्रैक आमेर मु0 जयपुर